the Central Government for this purpose.

Furthermore, a working knowledge of the local language Konkani would also be very useful for officers from outside the Territory who are posted in Goa.

A short course could be conducted in Goa to impart a working knowledge of the local language to the officers outside the Territory who are posted there. Incentives could also be given to such of them who do well in this course. I urge the Home Ministry to take up these matters with the sympathy and urgency that they require.

(v) Interim Relief to extra departmental employees of P & T.

SHRI SUSHIL BHATTACHARYA (Burdwan) : Under Rule 377, I make the following statement :

Out of a total of eight and half lakh employees serving in the Post and Telegraph Department nearly three lakhs are hapless Extra Department Agents receiving a monthly wage varying from Rs. 129/- to Rs. 232/- for working generally as departmental employees in the rural post offices. The Supreme Court gave a verdict that the Extra Departmental employees are also civil Servants. On 26.7.1983 the Finance Minister announced on the floor of this House that all government servants will be eligible to get an interim relief ranging from Rs. 50/- to Rs. 100/-. I request the Government to treat the Extra Departmental employees also at par with the regular employees for the purpose of grant of interim relief.

(vi) Need to provide protection to Citizens and maintenance of Law and Order in the Country

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं सदन को और स्पीकर को। मेरे इस वक्तव्य का काफी मंशा गृह मंत्री ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करवा के पूरा कर दिया है। यह वक्तव्य निरंकारियों के बारे में है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

मानवीय कत्ल चाहे वह धर्म, मजहब, सम्प्रदाय, जाति या भाषा, प्रान्त अथवा नगर के आधार पर होता है, राष्ट्र के लिए कलंक है। चाहे वह कत्ल अमृतसर में सिख सम्प्रदाय के लोग हों और फिर कड़ी से कड़ी उसके बदले में आतंकवादी साम्प्रदायिक लोग निरंकारियों के नाम पर कत्ल करें, यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। किसी भी सम्प्रदाय और धर्म के मानने वाले को यह शोभा नहीं देता कि दूसरे सम्प्रदाय के प्राणियों को कत्ल करें या कत्लेआम करने में सहयोग दें। निरंकारियों का आतंकवादियों द्वारा कत्ल देश में एक समस्या बन गई है। या तो सरकार कमजोर है या रक्षा नहीं करना चाहती है। सरकार को हर नागरिक के प्राण की रक्षा करनी चाहिए और अगर कोई बात किसी के धर्म के खिलाफ है, तो उसकी जांच करके उसका समाधान करना चाहिए। अब निरंकारियों ने शहीदी जत्था बना कर उसको अमृतसर ले जाने का फैसला किया है और उधर से दूसरे सम्प्रदाय के आतंकवादियों ने उसका जवाब धमकी में दिया है। इससे देश में तनाव और हिंसा बढ़ने के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता।

निरंकारी बाबा से लगा कर लाला जगत नारायण और आज तक कितने कत्ल हुए, इसका हिसाब किसके पास है? मेरी लोक सभा के माध्यम से निरंकारियों एवं दूसरे सम्प्रदाय के लोगों से अपील है कि वे अपने फैसले पर पुनः विचार करें और जनहित को ध्यान में रखते हुए शहीदी जत्थे को स्थगित करें और उग्रवादी, पृथकता-

[श्री मनीराम बागड़ी]

बादी तत्वों को मदद देने वाले लोगों से चाहूंगा कि वे देश और अपने सम्प्रदाय पर दया करें और अपने आपको गलत रास्ते से बचाने के लिए प्रायश्चित करें। सरकार तमाशाई न बनी रहे, बल्कि उसे अमल से अमन-चैन और व्यवस्था कायम करनी चाहिए।

(vii) Amelination of Cardition of Cine Workers

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे सिनेमा-कर्मचारियों की स्थिति अत्यंत दयनीय है, क्योंकि वे घोर शोषण के शिकार हो गए हैं। सिनेमा मालिक और सरकार दोनों ही इस उद्योग से पर्याप्त मुनाफा कमा रहे हैं किन्तु श्रमिक वर्ग उपेक्षा और शोषण के कारण उचित मजदूरी अथवा वेतन से वंचित है। मनोरंजन कर का कम से कम पांच प्रतिशत अंश कर्मचारियों के वेतन में जोड़ दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। मृत सिनेमा कर्मचारी के आश्रित को नौकरी देने तथा इन्श्योरेंस की व्यवस्था की जानी चाहिए और श्रम कानून के नियमों का कठोरता के साथ पालन किया जाना चाहिए। कर्मचारियों के वर्तमान वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए, साथ ही बोनस देने और पी० एफ० कटौती योजना लागू करने की व्यवस्था आरंभ की जानी चाहिए। कर्मचारियों से अधिक से अधिक आठ घंटे ही काम लिया जाना चाहिए और प्रतिवर्ष वेतन में नियमित वृद्धि की जानी चाहिए। मेरी सरकार से मांग है कि वह कर्मचारियों को शोषण से मुक्त कराने हेतु शीघ्र प्रभावी कदम उठाए।

(viii) Need to solve problems of Contract labour of food Corporation of India

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के डिपो में ठेके के मजदूरी की प्रथा में निहित चोरी/बरबादी के कारण कारपोरेशन को हर वर्ष अपार घाटा होता रहता है, परन्तु दूसरी ओर कार्पोरेशन के मजदूर शोषण के शिकार बने हुए हैं। एफ० सी० आई० प्रबन्धक अपने स्थायी कर्मचारियों को जो वेतन तथा सुविधा देता है वही सुविधा अपने गोदामों में लगाए गए फूड हैंडलिंग मजदूरों को देने से इंकार करता है। बहुधा ठेकेदार अपने मजदूरों को बिना पगार दिए ही लापता हो जाते हैं। परन्तु प्रबन्धक इनके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही नहीं करता। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 37वें प्रतिवेदन की अनुशंसा और सर्वोच्च न्यायालय के 1978 के फैसले के बावजूद भी एफ० सी० आई० ने ठेकेदारी की प्रथा को जीवित रखा है। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त को, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 1982 के फैसले में प्रतिपादित किया है, प्रबन्धन अवहेलना करता रहता है। एफ० सी० आई० ने असम, बिहार आदि राज्यों में मजदूरों को सीधे भुगतान की व्यवस्था को, जिसके लिए उन्होंने 1-11-73 को सहमति दिया था अभी तक लागू नहीं किया है। कुछ स्थानों पर ठेकेदारी प्रथा को सिद्धान्ततः समाप्त कर कुछ स्थानों पर कायम रखना अनियमित एवं गैर कानूनी है, इसके विरोध में तथा अपनी मांग मनवाने के लिए एफ० सी० आई० के लगभग दो हजार फूड हैंडलिंग मजदूरों ने दो महीने से दिल्ली में धरना दे रखा है। धूप और वर्षा में उनकी दुर्दशा हो रही है। अतः मैं सरकार से अनु-